रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122022-241280 CG-DL-E-22122022-241280

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5710]	नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2022/ अग्रहायण 29, 1944
No. 5710]	NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2022/ AGRAHAYANA 29, 1944

# सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5948(अ).—जबिक, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सौंपा है;

एनएच सं.	खंड	खंड कि.मी. से कि.मी.	का.आ संख्या	दिनांक
56 ए एंड बी		एनएच -56ए  का संपूर्ण खंड और एनएच -56बी का संपूर्ण खंड	1192(अ)	03.12.2001
I	लखनऊ से फैजाबाद से गोरखपुर से उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा	0.000 to 365.570	465(अ)	26.04.2002

8511 GI/2022 (1)

यतः, प्राधिकरण ने भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1987 (अ), तारीख 03 जुलाई, 2013 द्वारा मैसर्स पीएनसी कानपुर अयोध्या टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसका पंजीकृत कार्यालय केबिन नंबर 5, एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर- II, चौथी मंजिल, पुष्प विहार, सेक्टर V, साकेत नई दिल्ली-110017, भारत में है (इसके बाद "रियायतकर्ता" के रूप में संदर्भित) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन में शामिल व्यय के लिए अधिसूचना के अनुसार शुल्क एकत्र करने और बनाए रखने के लिए एक करार किया था।

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात "नियम" कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित तथा समय-समय पर संशोधित और रियायतग्राही के साथ रियायत समझौते के पूरा होने पर, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तरप्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 ए एवं बी के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 22.850 तक लखनऊ बाइपास खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 8.000 से कि.मी. 137.970 तक लखनऊ-अयोध्या खंड हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में दिए यांत्रिक वाहनो पर विनिर्दिष्ट सडक खंड की निवल लंबाई 133.861 कि.मी. हेतु 100% पर तथा बाईपास जिनकी लंबाई 18.959 कि.मी. और लागत 10 करोड रू या अधिक है, चार लेन के उपयोग हेतु आधार दर के डेढ़ गुणा की दर से सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातु :

सारणी-1				
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)			
(1)	(2)			
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65			
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05			
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20			
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40			
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूर्विंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45			
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20			

 नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

	सारणी-2	
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनज)	लंबाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
उत्तर प्रदेश राज्य में बाराबंकी जिले के अहमदपुर गांव में एनएच- 28 (नया एनएच-27) के डिजाइन कि.मी. 53.000 पर	60.341 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़ कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या जिले के रौनाही गांव में एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन किमी 107.000 पर।	73.520 (बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) और संरचना की लंबाई (60 मीटर से अधिक) को छोड़ कर)	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपरोक्त के अलावा, 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले बाईपास के उपयोग हेतु ऐसे शुल्क प्लाज़ा(ओं) के लिए उल्लिखित बाईपास की निवल लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाज़ा पर निम्नलिखित शुल्क देय तथा भुगतान योग्य होगा-

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरुआत	विलय स्थान	बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है		दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
				लंबाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में )	
उत्तर प्रदेश राज्य में बाराबंकी जिले के अहमदपुर गांव में एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन कि.मी. 53.000 पर	एनएच- 28(नया एनएच-27) का बाराबंकी बाइपास	डिजाइन कि.मी. 18.741	डिजाइन कि.मी. 31.250	12.509	10 करोड़ से अधिक	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%
उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या जिले के रौनाही गांव में एनएच-28 (नया एनएच-27) के डिजाइन कि.मी. 107.000 पर	एनएच-28 (नया एनएच- 27) का रामस्नेही घाट बाइपास	डिजाइन कि.मी. 62.800	डिजाइन कि.मी. 69.250	6.450	10 करोड़ से अधिक	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार अथवा अधिक लेन के लिए आधार दरों का 150%

- 3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।
- 4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किए जाएंगे, अर्थातुः

सारणी -4					
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि			
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे			
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह			

- 5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परिमट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।
- 6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमित नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।
- 7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।
- 8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।
- 9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- 10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2004.55 करोड़ रुपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं तथा अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो

जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/22-23/फीनोटिफिकेशन/लखनऊ-अयोध्या सेक्शन (एनएच-28)] सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2022

**S.O. 5948(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

NH No	Section	Stretch From km to km	S.O. No	Date
56 A& B	Lucknow Bypass	The entire stretch of NH-56A and the entire stretch of NH-56B	1192(E)	03.12.2001
28	Lucknow to Faizabad to Gorakhpur to Uttar Pradesh/Bihar Border	0.000 to 365.570	465(E)	26.04.2002

And Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1987(E) dated 03rd July 2013 , Authority had entered into an agreement with M/s PNC Kanpur Ayodhya Tollways Private Limited having its registered office at Cabin No 5 , NBCC Plaza , Tower-II , 4th Floor , Pushp Vihar , Sector V , Saket New Delhi-110017 India (hereinafter referred to as the "Concessionaire") to collect and retain the fee as per notification for expenditure involved in maintenance , management and operation of the said National Highway.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules"), and upon completion of concession agreement with concessionaire, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 133.861 km and at one and one half times the base rate for bypasses having length of 18.959 Km. costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Lucknow Bypass Section from design Km. 0.000 to Km. 22.850 of National Highway number 56 A&B and Lucknow -Ayodhya Section from design Km 8.000 to Km 137.970 of National Highway number 28 (New NH-27) in the State of Uttar Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor from the date of end of concession period with concessionaire the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2				
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable		
At design km 53.000 of NH-28 (New NH-27) at Ahmedpur Village of Barabanki District in Uttar Pradesh State.	60.341 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above		
At design km 107.000 of NH-28 (New NH-27) at Ronahi Village of Ayodhya District in Uttar Pradesh State.	73.520 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above		

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs. 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3							
Location of Fee Plaza	Name of the	Taking Off	Taking Off	f Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
(chainage)	Bypass			Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)		
At design km 53.000 of NH-28 (New NH-27) at Ahmedpur Village of Barabanki District in Uttar Pradesh State.	Barabanki Bypass of NH - 28 (New NH- 27)	Design km 18.741	Design km 31.250	12.509	>10 Cr	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above	
At design km 107.000 of NH-28 (New NH-27) at Ronahi Village of Ayodhya District in Uttar Pradesh State.	Ramsnehi Ghat Bypass of NH - 28 (New NH- 27)	Design km 62.800	Design km 69.250	6.450	>10 Cr	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above	

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three

hundred And Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4					
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity			
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment			
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment			

- 5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
- 6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
- 7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
- 8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
- 9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
- 10. The estimated capital cost of the project is Rupees 2004.55 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/22-23/FeeNotification/Lucknow-AyodhyaSection(NH-28)] SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.